फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

बिरबलराम बनाम सुनीता देवी आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 44 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
14.03.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रार्थी को इकतरफा सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 310/205 की कुल 35 किता की 7.9050 हैक्टेयर वाद भूमि के विशेष खसरा नं0/किला नं0 का बेचान न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 14/04/2023 को पेश हो । [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
17/4/23	पत्रावली पूर्व पेशी को स्थगन होने पर आज पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकालतनामा पेश हो चुके हैं। [illegible] हैं। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि. सम्मन पेश हो चुके हैं। अप्रार्थीगण को आवाज लगाई [illegible] उनकी ओर कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते जवाब आगामी कार्यवाही [illegible] को पेश हो। [signature]	

[signature]
सत्यनारायण
पटवारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
19/4/23	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की मामला व गैरसायलान का राजीनामा हो चुका है। इसलिए प्रार्थना-पत्र नही चलाना चाहते है। खारिज फरमावें। मामला स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नही चलाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner